भारत सरकार
अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या : 464
उत्तर देने की तारीख : 23.07.2025

केंद्रीय वक्फ पोर्टल

464. श्री चिन्तामणि महाराजः
डॉ. हेमंत विष्णु सवराः
श्री तेजस्वी सूर्याः
श्री रोडमल नागरः
सुश्री कंगना रनौतः

क्या **अल्पसंख्यक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) संपत्ति की डेटा प्रविष्टि और प्रबंधन के लिए केंद्रीय वक्फ पोर्टल का उपयोग आरंभ करने वाले वक्फ बोर्डों की संख्या कितनी है और उक्त पोर्टल किस प्रकार विशेषकर हिमाचल प्रदेश में एक संरचित त्रि-स्तरीय तंत्र के माध्यम से वास्तविक समय में सत्यापित डेटा प्रविष्टि की सुविधा प्रदान करता है;

(ख) क्या सरकार ने केंद्रीय वक्फ पोर्टल के प्रभावी उपयोग के लिए अधिकारियों को कोई प्रशिक्षण या क्षमता निर्माण सहायता प्रदान की है;

(ग) यदि हाँ, तो उक्त प्रशिक्षण-प्राप्त मास्टर प्रशिक्षकों की संख्या कितनी है और ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रमों के क्या परिणाम हैं;

(घ) क्या सरकार को उक्त पहल की प्रभावशीलता पर राज्य वक्फ बोर्डों या हितधारकों से कोई प्रतिक्रिया मिली है; और

(ङ) यदि हां, तो विशेषकर महाराष्ट्र राज्य और पालघर जिले का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

अल्पसंख्यक कार्य मंत्री
(श्री किरेन रीजीजू)

(क) एकीकृत वक्फ प्रबंधन, सशक्तीकरण, दक्षता और विकास (UMEED) अधिनियम, 1995 की धारा 3(टक) के अनुसार, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने दिनांक 06.06.2025 को UMEED केंद्रीय पोर्टल-2025 विकसित और लॉन्च किया है। यह पोर्टल तीन-स्तरीय उपयोगकर्ता संरचना निर्माता, परीक्षक और अनुमोदन पद्धति पर काम करता है ताकि वास्तविक समय में सत्यापित डेटा प्रविष्टि सुनिश्चित की जा सके और मौजूदा औकाफ़ के अप्रासंगिक या गलत विवरणों को अपलोड होने से रोककर डेटा की सत्यता बनाए रखी जा सके। मौजूदा औकाफ़ के विवरण अपलोड करने के तरीके को दर्शाने वाला एक विस्तृत उपयोगकर्ता मैनुअल तैयार किया गया है, जिसे सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वक्फ बोर्डों के साथ साझा किया गया है और पोर्टल पर अपलोड किया गया है। हिमाचल प्रदेश सहित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वक्फ बोर्डों ने देशभर में UMEED केंद्रीय पोर्टल-2025 पर डेटा प्रविष्टि शुरू कर दी है, उनकी वर्तमान स्थिति अनुबंध-I पर है।

(ख) और (ग) मंत्रालय ने UMEED केंद्रीय पोर्टल-2025 के प्रभावी उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए व्यापक प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण सहायता प्रदान की है। इसके शुभारंभ से पहले, पोर्टल के विकास के मूलरूप का प्रदर्शन करने और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वक्फ बोर्डों की प्रतिक्रिया को शामिल करने के लिए उनके प्रतिनिधियों के साथ 28.02.2025 और 08.05.2025 को दो परामर्श बैठकें आयोजित की गईं। दो दिवसीय राष्ट्रीय स्तर की कार्यशाला-सह-प्रशिक्षण कार्यक्रम 26-27 मई 2025 को आयोजित किया गया, जहाँ विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के वक्फ बोर्डों के 141 मास्टर प्रशिक्षकों को प्रशिक्षित किया गया और जो बाद में मुतवल्लियों और जिला स्तर के अधिकारियों को पोर्टल पर औकाफ के प्रासंगिक विवरण अपलोड करने का प्रशिक्षण देंगे। इसके सुचारू कार्यान्वयन को सुगम बनाने के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों और वक्फ बोर्डों के साथ 02.05.2025, 25.06.2025, 03.07.2025 को वीडियो कॉन्फ्रेंस भी आयोजित की गईं। मंत्रालय के अधिकारी और कर्मचारी ऑन-साइट सहायता प्रदान करने, मुद्दों को सुलझाने और उम्मीद केंद्रीय पोर्टल के संचालन में बोर्डों का मार्गदर्शन करने के लिए क्षेत्रीय दौरे भी कर रहे हैं।

(घ) और (ङ) प्रशिक्षण सत्रों के दौरान राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वक्फ बोर्डों से उनकी स्थानीय आवश्यकताओं और अपेक्षाओं के आधार पर प्रतिक्रिया और सुझाव प्राप्त हुए। एकीकृत वक्फ प्रबंधन, सशक्तीकरण, दक्षता और विकास अधिनियम, 1995 के प्रावधानों के अनुरूप पाए गए सुझावों को पोर्टल में शामिल किया गया है क्योंकि यह पोर्टल एक वैधानिक पोर्टल है। पोर्टल के शुभारंभ के बाद, बोर्डों द्वारा उठाई गई शिकायतों के समाधान के लिए एक समर्पित हेल्पलाइन स्थापित की गई है। दिनांक 19.07.2025 तक महाराष्ट्र राज्य सहित देश भर से लगभग 107 शिकायतें प्राप्त हुई हैं और उनके समाधान भी पोर्टल पर अपलोड किए गए हैं ताकि अन्य बोर्डों को पोर्टल की कार्यप्रणाली समझने और इसका प्रभावी ढंग से संचालन करने में मदद मिल सके। 107 शिकायतों में से 02 शिकायतें महाराष्ट्र राज्य से प्राप्त हुई हैं।

अनुबंध-I

श्री चिन्तामणि महाराज, डॉ. हेमंत विष्णु सवरा, श्री तेजस्वी सूर्या, श्री रोडमल नागर, सुश्री कंगना रनौत द्वारा 'वक्फ संपत्तियों के पंजीकरण के लिए केंद्रीय वक्फ पोर्टल' विषय पर दिनांक 23.07.2025 के लिए उठाया गया लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 464

वक्फ उपयोगकर्ता रिपोर्ट

क्र. सं.	राज्य वक्फ बोर्ड	अपलोडिंग प्रक्रिया शुरू करने वाले निर्माताओं की संख्या	प्रस्तुत निर्माताओं की संख्या	प्रस्तुत किए गए सत्यापन कर्ताओं की संख्या	स्वीकृत अनुमोदन कर्ताओं की संख्या	कुल अस्वीकृत संपत्ति	अनुमोदन हेतु लंबित कुल संपत्ति
1.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	3	0	0	0	0	0
2.	आंध्र प्रदेश	59	4	0	0	3	0
3.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0
4.	असम	0	0	0	0	0	0
5.	बिहार शिया	2	0	0	0	0	0
6.	बिहार सुन्नी	14	5	0	0	0	0
7.	चंडीगढ़	0	0	0	0	0	0
8.	छत्तीसगढ़	0	0	0	0	0	0
9.	दिल्ली	3	1	0	0	0	0
10.	गोवा	0	0	0	0	0	0
11.	गुजरात	37	0	0	0	0	0
12.	हरियाणा	1	0	0	0	0	0
13.	हिमाचल प्रदेश	2	4	0	0	0	0
14.	जम्मू और कश्मीर	31	0	0	0	0	0
15.	झारखंड	0	0	0	0	0	0
16.	कर्नाटक	10	0	0	0	0	0
17.	केरल	2	0	0	0	0	0
18.	लद्दाख	0	0	0	0	0	0
19.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0
20.	मध्य प्रदेश	5	0	0	0	0	0
21.	महाराष्ट्र	14	0	0	0	0	0
22.	मणिपुर	4	5	0	0	0	0

क्र. सं.	राज्य वक्फ बोर्ड	अपलोडिंग प्रक्रिया शुरू करने वाले निर्माताओं की संख्या	प्रस्तुत निर्माताओं की संख्या	प्रस्तुत किए गए सत्यापन कर्ताओं की संख्या	स्वीकृत अनुमोदन कर्ताओं की संख्या	कुल अस्वीकृत संपत्ति	अनुमोदन हेतु लंबित कुल संपत्ति
23.	मेघालय	1	0	0	0	0	0
24.	मिज़ोरम	0	0	0	0	0	0
25.	नागालैंड	0	0	0	0	0	0
26.	ओडिशा	179	10	0	0	1	0
27.	पुडुचेरी	2	0	0	0	0	0
28.	पंजाब	3	2	0	0	0	0
29.	राजस्थान	9	2	0	0	0	0
30.	सिक्किम	0	0	0	0	0	0
31.	तमिलनाडु	0	0	0	0	0	0
32.	तेलंगाना	5	0	0	0	0	0
33.	दादरा और नगर हवेली तथा दमन एवं दीव	1	0	0	0	0	0
34.	त्रिपुरा	0	0	0	0	0	0
35.	उत्तराखंड	7	2	0	0	0	0
36.	उत्तर प्रदेश शिया	2	0	0	0	0	0
37.	उत्तर प्रदेश सुन्नी	17	1	0	0	0	0
38.	पश्चिम बंगाल	7	0	0	0	0	0
	कुल	**420**	**36**	**0**	**0**	**4**	**0**
